न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 193/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2015/ 00032)

1. श्रीमति कमला देवी पत्नी सन्तोकचन्द जाति ओसवाल निवासी बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू मुख्त्यारआम विनोद कुमार पुत्र चन्दनमल निवासी भूतोड़ियों का बास, सुजानगढ जिला चूरू।
2. राज कंवर पुत्री सन्तोकचन्द जाति ओसवाल सुजानगढ जिला चूरू जरिये मुख्त्यारआम विनोद कुमार भूतोड़ियों निवासी सुजानगढ जिला चूरू।
3. सुशील कुमार पुत्र सन्तोकचन्द जाति ओसवाल निवासी बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू जरिये मुख्त्यारआम विनोद कुमार भूतोड़िया निवासी सुजानगढ जिला चूरू। (फौत)

3/1 सुप्रिया कोठारी पत्नी
3/2 शुभम कोठारी पुत्र
3/3 सिमरन कोठारी पुत्री

स्व.सुशील कुमार निवासी बीदासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

4. उम्मेद सिह
5. सुरेन्द्र सिंह
6. सुभाष चन्द्र

पुत्रगण सन्तोकचन्द जाति ओसवाल सुजानगढ जिला चूरू जरिये मुख्त्यारआम विनोद कुमार भूतोड़िया निवासी सुजानगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. नगरपालिका छापर जरिये अधिशाषी अधिकारी।
2. राजस्थान सरकार
3. मोतीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति ओसवाल निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
4. तिलोकचन्द पुत्र गोविन्दराम जाति ओसवाल निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
5. श्रीमती सपना देवी पत्नी स्व. हनुमानमल जाति बैद निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

6. कुमारी वर्षा
7. कुमारी मनीषा
8. कुमारी साक्षी

नाबालिक पुत्रीयान स्व.हनुमानमल जरिये माता श्रीमती सपना देवी पत्नी श्री हनुमानमल जाति बैद निवासी छापर तहसील सुजानगढ।

9. विजयसिह पुत्र थानमल जाति ओसवाल निवासी छापर हाल निवासी पी – 4, न्यू हावड़ा ब्रीज रोड़ के सामने नन्दराम मार्केट रूप नं. 603 कोलकाता।
10. आनन्दमल पुत्र थानमल जाति ओसवाल भन्साली निवासी छापर C/o विजय सिंह ओम प्रकाश सरावगी सदन जेल रोड़ गोहाटी।
11. उषा किरण पत्नी भोलाशंकर जाति स्वर्णकार जड़िया निवासी कस्बा तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
12. पार्वती देवी पत्नी सुनील कुमार जाति स्वर्णकार जड़िया निवासी कस्बा छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू
13. राजबाला यादव पत्नी बस्तीराम जाति यादव निवासी कस्बा छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

रेस्पोडेंट्स

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः
1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री धन्नेसिह – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 11, 12
3. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 9, 10
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 18.01.2023

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (बी) (7) के अन्तर्गत तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू के निर्णय दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (बी) (7) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार) सुजानगढ (नगरपालिका, छापर) जिला चूरू के निर्णय दिनांक 15.05.2001 के विरूद्ध अदालतवाला मे अपील सं. 199/2009 प्रस्तुत हुई। अदालतवाला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2012 व शुद्वि पत्र आदेश दिनांक 7.5.2013 के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण सक्षम अधिकारी (तहसीलदार सुजानगढ) को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित कर उभय पक्ष की सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिये। उक्त रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार सुजानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.07.2015 द्वारा तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) सुजानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2001 में किसी भी प्रकार का संशोधन /परिवर्तन करना उचित नही मानते हुए आदेश दिनांक 15.05.2001 को यथावत रख दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर बहस सुनकर दिनांक 28.09.2021 को अपील संधारण योग्य होने का आदेश दिया गया।
4. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 ता 8 व 13 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल लाई गई।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि वादगत भूमि खेत खसरा नं. 134 तादादी 1 बीधा एवं खेत खसरा नं. 136 तादादी 1 बिस्वा कुल तादादी 1 बीधा 1 बिस्वा मौजारोही ग्राम छापर अपीलान्ट्स के पूर्वज स्व. सन्तोकचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज थी। स्व. सन्तोकचन्द के निधन के बाद हम अपीलान्ट्स के नाम दर्ज हुई तत्पचात् रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4, व 5 ता 8 के पूर्वज हनुमानमल ने वादगत भूमि को अपने नाम खातेदारी घोषित कराने हेतु दावा उपखण्ड अधिकारी रतनगढ मे प्रस्तुत किया जो दिनांक 25.07.1987 को स्वीकार किया गया जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपीलान्ट के द्वारा पेश की गई जो स्वीकार हुई । राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 25.01.1988 के अनुसार पूर्व स्थिति कायम रखते हुए दावे की पुनः सुनवाई करनी थी लेकिन उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्णय एव इकतरफा डिक्री दिनांक 25.07.1987 के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुए थे, उन्हे दुरूस्त कर अपीलान्ट के नाम दर्ज नही किया गया इसलिए रेस्पोडेन्ट नं. 3, 4 एवं 5 ता 8 के पूर्वज का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत तरीके से चलता रहा जिसको आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के द्वारा दिनांक 27.03.1991 आदेश पारित किया गया। आदेश दिनांक 27.03.1991 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट हनुमानमल वगैरह ने राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर मे अपील कर रखी है जो जैरकार है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के नाम से सन्धारित राजस्व रिकार्ड सन्देहास्प्रद है तथा मूल नियमित वाद का अन्तिम रूप से निपटारा नही हुआ है। अपीलान्ट्स उक्त भूमि को आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय नही की ना ही स्वय उक्त भूमि को अकृषि प्रयोग में लिया है। ऐसे में वादगत भूमि को राज्य हित मे पूणग्रहित नही किया जा सकता । श्रीमान द्वारा आदेश उक्त प्रकरण में तहसीलदार को पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत का अवसर देने के निर्देश दिये थे। रेस्पोडेन्ट सं. 11 से 13 के हक मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 8 के पूर्वज लाडा देवी के द्वारा अपने नाम से जारी आवासीय पट्टा 39 दिनांक 21.11.1988 का भाग तथाकथित विक्रय पत्रो को जो

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विक्रय करना बताया है जो बिना क्षैत्राधिकार के है जिनको वैधानिकता पक्षकारो के बीच जैरकार अपील राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर मे तैय होना है। रेस्पोडेन्ट नं. 3 से 8 के पूर्वज द्वारा बिना अधिकार निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 14.09.1987 में उनके आधार पर जारी किये गये आवासीय पट्टा सं. 40 व 41 दिनांक 21.11.1988 के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपीलान्ट्स से अपील प्रस्तुत कर रखी है तथा दोनो आवासीय पट्टा न्यायालय मे विवादास्प्रद है। आदेश दिनांक 15.05.2001 को श्रीमान द्वारा निरस्त ही कर दिया गया जिसे नियमानुसार घोषित किया जाना हास्यपद है । अधीनस्थ न्यायालय को अपना स्वतन्त्र, विवेचनायुक्त, फ्रेश आदेश पारित करना था। निरस्त आदेश को पुन यथावत रखने का आदेश इंन्गित करता है। इस न्यायालय द्वारा अपील को क्षेत्राधिकार में माना जा चुका है। दावा का राजीनामा नही हुआ है। उस दौरान भूमि कुर्क रही है, यह दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष नही रखे जा सके। है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे। न्यायहित में आदेश जैर अपील के क्रम मे हुए अन्य कार्यवाहीया व आदेश भी निरस्त फरमावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व 12 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट्स का यह कहना गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया जबकी इनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील धारा 90 बी के अन्तर्गत पारित निर्णय के विरूद्व पेश की गई है जो इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार मे नही है, इसकी केवल रिविजन ही होती है। इसके अलावा पट्टे 1988 मे जारी किये गये, उक्त अपील मे मियाद का प्रश्न है। 12 वर्ष तक अपील पेश नही करने पर अपीलान्ट्स के अधिकार नही रहे, इनके राईट खत्म हो गये। नगर पालिका का इन्तकाल 13.07.2001 मे चढा और सेलडीड दिनांक 14.09.1987 की है, वर्ष 2001 से यह भूमि आवासीय दर्ज है। एग्रीकल्चर लैण्ड नही है, वहा मौके पर मकान व दूकाने बनी हुई है, बिजली, पानी के कनेक्शन भी है। अतः अपीलान्ट्स की अपील सारहीन व इस न्यायालय में लाई नही करने के कारण खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2015 (1) पृष्ठ 54, RRT 2021 (1) पृष्ठ 115, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 के विद्वान अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट सं. 11 व 12 की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि हम उक्त भूमि के खरीददार है। उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन चल रहा है। दावा दिनांक 25.01.88 को रिमाण्ड हुआ इस दौरान पक्षकारो कें मध्य राजीनामा हो गया। इस दौरान मुख्त्यार आम विनोद कुमार आते है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2015 में वहा पर हमारा पंजेशन माना है, अपीलान्ट का कब्जा नही है। अपीलान्ट का सुनवाई का मौका नही देने का कथन गलत है। अपील सारहीन है अतः अपील खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील तहसीलदार सुजानगढ के निर्णय दिनांक 13.07.2015 के विरूद्व दिनांक 12.08.2015 को प्रस्तुत हुई जो कि अदालतवाला में दिनांक 23.12.2015 को मियाद के बिन्दु पर बहस सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर क्षेत्राधिकार पर बहस हेतु 19.01.2016 को सुनवाई हेतु नियत की गई, इस संदर्भ मे क्षेत्राधिकार के विषय पर सुनवाई उपरान्त दिनांक 28.09.2021 को आदेश पारित किया गया कि " प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार) सुजानगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2001 के विरूद्व पूर्व में अदालतवाला में अपील सं. 199/2009 दर्ज हुई जिसका निर्णय दिनांक 31.01.2012 को प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार) सुजानगढ को प्रतिप्रेषित के रूप में हुआ उक्त प्रतिप्रेषित प्रकरण मे प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार) सुजानगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (बी) (7) के पारित निर्णय के विरूद्व यह अपील धारा 90 (बी) (7) के अनुसार संभागीय आयुक्त महोदय के यहा प्रस्तुत करने के प्रावधान विधमान है। पूर्व में इस प्रकरण में अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा सुनी गई है तथा संभागीय आयुक्त महोदय व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भी

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सम्मिलित है। इस प्रकार अपील संधारण योग्य है।" उक्त आदेश के विरूद्व कोई निगरानी/अपील नही है। जहा तक मियाद के बिन्दु का प्रश्न है प्रस्तुत अपील तहसीलदार सुजानगढ के निर्णय दिनांक 13.07.2015 के विरूद्व दिनांक 12.08.2015 को प्रस्तुत हुई जो अन्दर मियाद है, किन्तु इसका दायरा दिनांक 23.12.2015 को हुआ है जो कि न्यायालय स्तर पर चूक मानी जायेगी। अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2015 के द्वारा तहसीलदार सुजानगढ द्वारा अदालतवाला के प्रकरण सं. 199/2009 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2012 एवं शुद्वि पत्र आदेश दिनांक 07.05.2013 के अनुसरण में प्रति प्रेषित पत्रावली में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है जिसमे अपीलान्ट का अपीलाधीन भूमि पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर कब्जा नही माना है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का माना गया है।

10. जहा तक अपीलान्ट की भूमि के संबध में राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील विचाराधीन होने का प्रश्न है के संदर्भ में अपील संख्या 4188/2018 वर्तमान में भी जैरकार है जिसमे रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 04.07.2018 को पारित किये हुए है। अतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

11. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.मौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर